न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 09/2024 बउनवानी चिरंजी लाल मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर,स0मा0 पुत्र श्री रघुनाथ मीना निवासी आटुन खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर **GCMS No-2024/23**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

7.6.2024

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना एवं उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहमे बाबत दिनांक 18.1.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:—

1. नकल सम्पूर्ण पत्रावली मय आदेश उनवान किशन गोपाल बनाम रामनिवास वगै. मु0न0 46/1967 निर्णय दिनांक 7.9.1970 प्रार्थना पत्र रिसीवरी धारा 107,116,145 सीआरपीसी।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। यद्यपि उपजिला कलेक्टर की ओर से कोई जवाब प्राप्त नही हुआ है किन्तु दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना लगभग 54 वर्ष पुरानी है जिसको तलाश किये जाने हेतु पर्याप्त समय एवं संसाधन की आवश्यकता है। उपजिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के कार्यालय का समस्त स्टॉफ दिनांक 29 अप्रेल,2024 तक लोक सभा चुनाव मे व्यस्त रहा है। सूचना तलाश किये जाने का कार्यालय स्तर पर प्रयास किये जा रहे है किन्तु अभी तक सूचना उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। सूचना से संबंधित रिकार्ड बरामद होने पर अपीलान्ट को उपलब्ध करवा दिया जावेगा। यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना न्यायालय की पत्रावली से संबंधित है तथा न्यायालय से संबधित रिकार्ड को न्यायिक प्रकिया के तहत कोर्ट फीस अदा करके प्राप्त करने का प्रावधान है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 18.1.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना तत्समय एवं अब अपील प्रस्तुत हो जाने के उपरान्त भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी है तथा सूचना उपलब्ध नही करवाने के संबंध में अपीलान्ट एवं न्यायालय हाजा को कोई विधिसंगत कारण भी नही बताया है। यद्यपि चाही गयी सूचना न्यायालय की पत्रावली से संबंधित है जिसको न्यायिक प्रकिया के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कोर्ट फीस अदा करके प्राप्त करने का प्रावधान होने के कारण अपीलान्ट उक्त सूचना न्यायिक प्रकिया के तहत प्राप्त करने हेतु स्वंतत्र होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

उक्त प्रकरण मे प्रथम दृष्टया उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर एवं संबंधित कार्मिको का सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के प्रति लापरवाही पायी गयी है जो खेदजनक है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को अब तक सूचना उपलब्ध नही करवाने अथवा नियत समयावधि मे वस्तुस्थिति [illegible] नही करवाने के लिए संबंधित कर्मचारी / अधिकारी की जिम्मेदारी तायद कर संबंधित [illegible] के विरूद्ध के नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट द्वारा उक्तानुसार चाही [illegible] न्यायिक प्रकिया के तहत 15 दिवस मे उपलब्ध करवायी जाकर की गयी कार्यवाही से न्यायालय [illegible] को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल [illegible]लेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:13:51 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner